भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1849
14 दिसंबर, 2021 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

महामारी के दौरान कोविड-19 से हुई मौतों की पहचान के लिए दिशानिर्देश

1849. श्री राम नाथ ठाकुरः

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान हुई मौतों को कोविड-19 से हुई मृत्यु के रूप में पहचान करने के लिए कोई विस्तृत दिशानिर्देश जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मानदंड के अनुरूप सभी राज्यों मे कोविड-19 महामारी से हुई मौतों का आकलन किया गया है और इसका केन्द्रीयकृत आंकड़ा तैयार है; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या उन्हें सरकार द्वारा तय मुआवजा दिया गया है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (घ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विश्व स्तर पर स्वीकृत अंतर्राष्ट्रीय रोग वर्गीकरण (आईसीडी-10) के अनुसार कोविड-19 से संबंधित मौतों की सही रिकॉर्डिंग के संबंध में आईसीएमआर के दिशानिर्देश प्रेषित किए हैं। इसके अलावा, वीडियो कॉन्फ्रेंस और औपचारिक संचार माध्यमों द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रो में मौतों की सही और समय पर रिपोर्टिंग पर भी बल दिया गया है। राज्यों को नियमित रूप से मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए मृत्यु संपरीक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हेतु उपाय करने करने की सलाह दी गई है।

सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के माध्यम से 'कोविड-19 के कारण मृतक के परिजनों को अनुग्रह सहायता प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश' जारी किए हैं। एनडीएमए ने प्रति मृतक 50,000/- रुपये की राशि की सिफारिश की है, जिसमें राहत कार्यों में शामिल या तैयारी गतिविधियों में शामिल लोग भी शामिल हैं और जिनकी मृत्यु का कारण कोविड-19 के रूप में प्रमाणित किया गया है ।

******